न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 84/2016 दायरा दिनांक : 10.02.2016

उनवान

गोपाल आयु 50 साल पुत्र कान्हा, दत्तक पुत्र अमर लाल, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— चम्पा बाई पुत्री अमरा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां हाल निवासी सिगनपुर, तहसील चाचोदा, जिला गुना मध्यप्रदेश

2— ईश्वरलाल पुत्र कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

3— शिवनारायण पुत्र कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

4— हरिराम पुत्र कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

5— रामदयाल पुत्र कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

6— लड्डूलाल पुत्र कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

7— गायत्री बाई पुत्री कान्हा, जाति गूर्जर, निवासी बिशनखेडा, चैना, तहसील छबडा, जिला बारां

8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हजारी लाल भार्गव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :07.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या — 170/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 चम्पा बाई ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम बिशनखेडा चैना, तहसील छबडा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/8 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 31 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 148 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 181 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 293 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल 7 किता की 8 बीघा 11 बिस्वा आराजी वादिया और प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते में दर्ज है । इसमें वादिया का 1/2 हिस्सा और प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है । वादग्रस्त आराजी

में से कुछ आराजी हिंगलोट सिंचाई परियोजना में अवाप्त हो गयी थी प्रतिवादीगण शेष कृषि आराजी में काश्त करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं । अतः दावा वादिया स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दावा वादिनी स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, जिसमें अपीलांट उपस्थित नहीं थे । कानूनी प्रक्रिया की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । प्रकरण में कानूनी बिन्दू गोद बाबत निहित था जिसमे लिए साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.08.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं थे और न ही कोई राजीनामा पेश किया था । बिना सी

पी सी की पालना किये अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय किया गया है जो विधि विरूद्ध है । अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और दिनांक 10.07.2015 को इसे लोक अदालत में रखा गया । दिनांक 10.07.2015 की आदेशिका के अनुसार मजमेआम में दावा वादिया स्वीकार किया गया है यद्यपि आदेशिका में यह लिखा है कि वादी और प्रतिवादी उपस्थित हैं परन्तु किसी भी पक्षकार के आदेशिका में हस्ताक्षर नहीं हैं और न ही आदेशिका में यह लिखा गया है कि पक्षकारान ने कोई राजीनामा पेश किया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा